Sl.No. :

नामांक Roll No.

यहाँ से काटिए

No. of Sections – 3

No. of Printed Pages – 07

SS–32–SH. HD. (Hindi)

उच्च माध्यमिक परीक्षा, 2017

SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 2017

हिन्दी शीघ्रलिपि

(SHORTHAND HINDI)

समय : 3¼ **घण्टे**

पूर्णांक : 40

प्रश्न पत्र को खोलने के लिए यहाँ फाड़ें

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :

1) परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें ।

2) तीनों खण्ड एक ही बैठक में लिखाये जायें ।

3) प्रथम एवं द्वितीय खण्डों तथा द्वितीय एवं तृतीय खण्डों के बीच में 5-5 मिनट का मध्यान्तर दिया जाये । तीनों खण्डों के संकेत लिपि श्रुतलेखों के हिन्दी अक्षरीकरण के लिए 2¾ घंटे का समय दिया जाए ।

4) केवल निम्न विराम–चिह्न ही लगाएं :

पूर्ण विराम, अर्द्ध–विराम और प्रश्न–चिह्न एवं कोष्ठक ।

5) संकेत लिपि पेन्सिल से लिखा जाए तथा उसका अनुवाद हिन्दी में टंकण यंत्र / कम्प्यूटर से ही टंकित किया जाय । हाथ से लिखा मान्य नहीं होगा ।

6) संकेत लिपि में लिखा हुआ श्रुतलेख उत्तर–पुस्तिका के साथ नत्थी कर दिया जाए ।

7) संकेत लिपि के 20% अंक रखे गये हैं ।

8) खण्ड प्रथम 4 मिनट, खण्ड द्वितीय 5 मिनट तथा खण्ड तृतीय 7 मिनट लिखवाने के रखे गए हैं । प्रत्येक खण्ड 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाय ।

यहाँ से काटिए

प्रथम–खण्ड [10]

(इसे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखाया जाए)

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार, जयपुर

मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक : प 16 (108) मं मं/16/105

दिनांक/: 01 मार्च, 2016 [¼]

विषय : जिला स्तर पर मन्त्रिमण्डल की बैठक का आयोजन करवाना ।

जिला की समस्याओं/ का गहन अध्ययन कर क्षेत्रिय विकास की आवश्यकताओं को ध्यान [½]
रखते हुए विकास व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक गति देने / हेतु राज्य सरकार ने जिला स्तर [¾]
पर मंत्रिमण्डल की बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है । मंत्रिमण्डल की जिला // स्तर [1]
बैठकों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा:–

अ) नियमित विषय सूची –

ब/) प्रशासन द्वारा प्रेषित एवं प्रभारी मंत्री द्वारा सूची वह जिले व क्षेत्र संबंधित समस्याओं पर [1¼]
विचार –

स/) कतिपय अन्तर्विभागीय प्रकरण जो समन्वय के अभाव में अवशेष है – [1½]

द) विकास की प्रमुख मांगे, उनका / विश्लेषण एवं उन्हें कब तक क्रियान्वयन हेतु लिया जा सकता है, इस पर निर्णय। [1¾]

जिलों में मंत्रिमण्डल की // बैठकों में विचारणीय विषयों के बारे में आदेशानुसार [2]
लेख है कि संबंधित जिलाधीश, संबंधित शासन सचिवगण, क्षेत्रिय व / जिले से संबंधित [2¼]
समस्याएँ जिनका मन्त्रिमंडल स्तर पर समाधान होना है, संबंधित मंत्रिगण के माध्यम से
मंत्रिमण्ड़ल सचिवालय में / प्रेषित करेंगे। संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री महोदय की जिले [2½]
में मंत्री मंण्डल की बैठक से पर्याप्त समय पूर्व / क्षेत्र व जिले की समस्याओं को प्राथमिकता [2¾]
के आधार पर सूचीबद्ध करने का कष्ट करेगें एवं तदुपरान्त मुख्यमंत्री महोदय से // पूर्व में [3]
विचार–विमर्श कर इन समस्याओं को मंत्रि–परिषद में विचारार्थ लिया जा सकेगा ।

सही

उप/शासन सचिव [3¼]

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्ड़ल सचिवालय

क्रमांक :– प /16 (108) मं मं/16/106 से /111 [3½]

दिनांक : 01 मार्च, 2016

1) समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मंत्रिगण/राज्य मंत्री/ /उप मंत्रीगण [3¾]

2) समस्त शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव

3) समस्त जिलाधीश

4) समस्त विभागीय अध्यक्ष

उप शासन सचिव // [4]

द्वितीय–खण्ड [10]

(इसे प्रति मिनट 80 शब्दों की गति से लिखा जाय)

कार्यालय, जिला – शिक्षा अधिकारी (मा.) शिक्षा विभाग, मेरठ

क्रं.: जिशि अ/मा.//मे./ 777 दिनांक: 20-9-2016 [¼]

प्रधानाचार्य /.....

रा उ मा वि / रा मा / वि..... [½]

विषय : कारण बताओं नोटिस

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र सं. 687 दिनांक 13/.05.16 द्वारा [¾] आपको रा.उ.मा वि / रा. मा. वि. ..... का भण्डार भौतिक सत्यापन अधिकारी // [1] नियुक्त कर उक्त विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का शत – प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर प्रपत्र 30-06-2016 /तक भिजवाने के निर्देश दिए थे । परन्तु बड़े ही खेद के साथ लिखना पड़ रहा है [1¼] कि आपने अभी / तक उक्त विद्यालय के भण्डार का सत्यापन नहीं किया । जो कि उच्च [1½] अधिकारियों के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है /। इस संबंध में मुख्य लेखाधिकारी महोदय द्वारा [1¾] दिनांक 15.09.16 को ली गई बैठक में अत्यधिक // नाराजगी प्रकट करते हुए उत्तरदायी [2] अधिकारी के विरूध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए है ।

इस क्रम / में निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यालय में संस्था प्रधान के पद रिक्त [2¼] चल रहे है उन विद्यालयों में / प्रधानाचार्य /प्र.अ./ व्याख्याता को, सामान्य वित्तिय एवं [2½] लेखा नियमों के नियम 03 के तहत वित्तिय अधिकार / प्रदत्त किए गए, वे आबंटित [2¾] विद्यालयों. का भौतिक सत्यापन कर अनुपालना प्रतिवेदना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें । [3] इसी के // साथ ही आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप [3¼] संबंधित विद्यालयों का दिनांक 30-/10-16 तक हर हालात में भण्डार सामग्री का शत – [3½] प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन दो प्रतियों में / अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में [3¾] मय देरी से प्रस्तुत करने के कारण स्पष्ट करते हुए प्रेषित करें । इसमें किसी/ भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें ।इसके उपरान्त भी आप द्वारा अवहेलना की गई तो आपके वार्षिक मूल्यांकन [4] में // इसकी प्रतिकूल प्रविष्टी कर दी जायेगी ।

मुख्य – लेखाधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिस / क्षेत्र में नोड़ल [4¼]
अधिकारी नियुक्त है वे अपनी देख–रेख सम्पूर्ण कार्य अपने स्तर पर शीघ्रतीशीघ्र पूर्ण करवा/कर [4½]
संबंधित सूचना तुरन्त कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें । लम्बे समय तक यदि कोई अनुपस्थित
हो तो तुरन्त/ अन्य सक्षम अधिकारी नियुक्त कर कार्य पूर्ण करवाए । [4¾]

सहीराय

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)

शिक्षा विभाग, मेरठ // [5]

तृतीय खण्ड [20]

(इसे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखा जाए)

पशु

पृथ्वी पर सभी जीवों को पशु कहा गया है । हमारी पृथ्वी की तरह सभी लोकों को भी
पृथ्वी/ संज्ञा दी गई है । अत: सभी लोकों में भी पशु ही रहते है । चाहे असंज्ञ हो, [¼]
अन्त:/ संज्ञ हो या फिर ससंज्ञ हो । मनुष्य की भी पशु संज्ञा है । प्रकृति के प्राणों में [½]
ऋषि,/पितर, देव, गन्धर्व प्राणों के बाद पशु प्राण आते हैं। ऋषि, पितर एवं देव प्राणों [¾]
के // कारण हमारे तीन ऋण बनते हैं । मानव जीवन का लक्ष्य है धर्मानुकूल अर्थ व काम के सहारे [1]
मोक्ष प्राप्ति/। आप्त काम हो जाना। मानव – रूप पशु की मोक्ष तक की यात्रा कोई साधारण घटना [1¼]
नहीं हो/सकती । पशु को तो वैसे भी भोग योनि माना जाता है। अज्ञानवंश मनुष्य भी भोग को [1½]
ही/ प्रधान मान कर जीने लगता है। उसके कर्म में विद्या का अंश कम होता है । [1¾]

6

पञ्च पाश

जीवन को // दो ही तत्व चलाते है – विद्या व अविद्या। धर्म – ज्ञान – वैराग्य – ऐश्वर्य [2]
विद्या कहते है /। अधर्म, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश को अविद्या कहते है। विद्या से [2¼]
बुद्धि प्रभावित होती है। / अविद्या मन के प्रवाह से जुडती है । मनमानी करती है । विद्याभाव [2½]
से मन पर अंकुश लग जाता है/। पशु के पास अंकुश लगाने की क्षमता नहीं होती है । वह तो [2¾]
प्रवाह पतित हो जाता है।// मानव के पास यह क्षमता होती है। इस भू–पिण्ड़ पर औषधि, [3]
वनस्पति,कीट,पशु/–पक्षी, मनुष्य आदि सभी शरीर रहते है । सभी का अपना जीवन स्वतंत्र [3¼]
होता है व एक / दूसरे पर निर्भर है । ये सारे शरीर भू – पिण्ड के नम्य (नाभि या केन्द्र) के द्वारा [3½]
आकृष्ट / भिन्न – भिन्न प्राणों से ही बनते हैं । अत:इन्हें पार्थिव या पृथ्वी के पशु कहा जाता [3¾]
है।// जब तक इनका पृथ्वी केन्द्र से आदान – प्रदान रहता है, तब तक इनका जीवन रहता [4]
है । पृथ्वी/ के नष्ट होने पर ही ये सारे नष्ट हो जाते है । [4¼]

पशु की अन्य व्याख्या यह भी है कि/ जो प्राणी पञ्च पाश से बन्धा, वह पशु है । ये पाँच [4½]
पाश अविद्या, अस्मिता, राग– / द्वेष व अभिनिवेश हैं। अज्ञान को अविद्या कहते है । ज्ञान को [4¾]
विद्या कहा जाता है। एकोज्ञानं ज्ञानम्// के अनुसार जिसको यह समझ में आ जाय कि सब [5]
प्राणियों में एक ही सत्ता रहती है, उसे ज्ञानी / कहा जाता है । पृथ्वी पिण्ड का पोषण करने वाला [5¼]
भी पशु कहे जाते है । अत: सभी असंज्ञ,/ससंज्ञ व अन्त:संज्ञ पशु कहलाते है । सभी पृथ्वी के [5½]
उपकरण हैं । जैसे मन, बुद्धि व शरीर / आत्मा के उपकरण है । जो स्थान घेरते है, सीमायुक्त होते [5¾]
है, वे भी, पशु है । अत: // जीवों के अतिरिक्त अन्न, जल व अग्नि भी पशु है । [6]

लेकिन जिस जल व अग्नि से पृथ्वी का / निर्माण होता है, वह पशु नहीं है । उनकों प्राण [6¼]
पद कहते हैं। सभी पशु पृथ्वी की प्राण / शक्ति के आधार पर स्थिरता पाते है । सूर्य परमेष्ठी आदि [6½]
मण्ड़लों से जो रस पृथ्वी पर आते है/, वे ही पशु रूप ग्रहण करते है । अन्त में पृथ्वी के मूल स्वरूप [6¾]
में जुड़ जाते हैं।// [7]

DO NOT WRITE ANYTHING HERE